

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 7138/2026
CNR: RJHC010540572026
URN: CRLMB / 15764U / 2026

Mohammad Idrish Noori S/o Mohammad Ismile Noori, Aged About 37 Years, Resident Of Behind Sangmarmar Hotel, Police Station Makrana, District Deewana Kuchaman Rajasthan, Presently Lodged In District Sub Jail Parbatsar

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vineet Jain, Sr. Adv. assisted by Mr. Rajiv Bishnoi
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP Mr. Vikram Singh Surani

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

06/07/2026

01. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना मकराणा, जिला डीडवाना कुचामन में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 104/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 108 व 85 भारतीय न्याय संहिता के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।
02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
03. प्रार्थी-अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में चालान पेश हो चुका है। विवाह के दस वर्ष पश्चात् प्रार्थी-अभियुक्त की पत्नी द्वारा आत्महत्या की गई है। इस मामले में पुलिस की तपत्तीश से भी यह स्पष्ट है कि बच्चा नहीं होने पर प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध छोटे भाई की लड़की को गोद लिया था, जिससे वह परेशान रहने लगी। परिवादी पक्ष द्वारा यूट्यूब का वीडियो पेश कर बताया गया कि नसरीन द्वारा वीडियो अपलोड

किया गया है, जिसमें बार-बार हत्या का आरोप लगाया गया है। परंतु पुलिस द्वारा अपनी तपतीश में हत्या कारित करना नहीं माना गया है, बल्कि 108 का मामला ही प्रमाणित पाया गया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी हैंगिंग का उल्लेख किया गया है। पुलिस द्वारा दहेज के लिये हत्या कारित करने का मामला नहीं माना गया है। प्रार्थी-अभियुक्त दिनांक 23.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अब तक एफ.एस.एल. रिपोर्ट नहीं आने के कारण प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक तथा विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया। उन्होंने बताया कि प्रार्थी-अभियुक्त की सगी बहन द्वारा ही वीडियो अपलोड किया गया था, जिसमें प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा मृतका को मारने का आरोप लगाया गया है।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में चालान पेश हो चुका है। पुलिस द्वारा चार्ज रिपोर्ट में प्रस्तुत तथ्यों पर विचार किया गया। प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध धारा 108 व 85 का आरोप लगाया गया है।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए इस स्टेज पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी-अभियुक्त **मोहम्मद इदरीस नूरी पुत्र मोहम्मद इस्माईल नूरी** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J